संख्या-09/2025/आई/846127/23-1-25-23-1002(002)/152/2024-पार्ट-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 08 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के 01 कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-80/पी0जे0-11/40पी0जे0/24, दिनांक 25.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 मद में शासनादेश संख्या-06/2025/आई/842206/23-1-25/002-23-1002(002)/152/2024-पार्ट-1, दिनांक 05.01.2025 द्वारा प्रयागराज मण्डल के जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-330 के किमी0-41.200 से 52.00 (राजकीय पालीटेक्निक प्रतापगढ़ से भूपियामऊ चौराहा तक) मार्ग पर हाट मिक्स प्लान्ट एवं पेवर फिनिशर द्वारा विशेष मरम्मत के साथ बी0सी0 से नवीनीकरण के कार्य हेतु रू0 663.08 (रूपये छः करोड़ तिरसठ लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ कुल रू0 280.96 लाख (रूपये दो करोड़ अस्सी लाख छियानबे हजार मात्र) धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-06/2025/आई/842206/23-1-25/002-23-1002(002)/152/2024-पार्ट-1, दिनांक 05.01.2025 द्वारा स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के उक्त कार्य हेतु शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-7, 8 एवं 9 में शीर्षक क्रमशः कार्य की लागत (18 प्रतिशत जी0एस0टी सहित), 05 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) एवं कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) अंकित हो गया है, जबकि उक्त के स्थान पर स्तम्भ-7, 8 एवं 9 में शीर्षक क्रमशः निम्नानुसार पढ़ा व समझा जाय :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई कि0 मी0 में	कार्य की लागत (18 प्रतिशत जीएसटी रहित)	18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	80/पी0जे0-11/40पी0जे0/24,	नि0खं0-1 प्रतापगढ़	NH330	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-330 के किमी0-41.200 से 52.00 (राजकीय पालीटेक्निक प्रतापगढ़ से भूपियामऊ चौराहा तक) मार्ग	10.800	561.93	101.15	663.08	280.96

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई कि0 मी0 में	कार्य की लागत (18 प्रतिशत जीएसटी रहित)	18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दिनांक 25.12.2024			पर हाट मिक्स प्लान्ट एवं पेवर फिनिशर द्वारा विशेष मरम्मत के साथ बी0सी0 से नवीनीकरण के कार्य					

4- विषयगत शासनादेश संख्या-06/2025/आई/842206/23-1-25/002-23-1002(002)/152/2024-पार्ट-1, दिनांक 05.01.2025 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-09/2025/आई/846127(1)/23-1-25-23-1002(002)/152/2024-पार्ट-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in